प्र.स.:— 07 / 2023
दायर दिनांक 18.05.2023
निर्णय दिनांक :— 24.05.2023

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

(प्रशासन गांवो के संग अभियान—2023 कैम्प ग्राम पंचायत खानवास)

पीठासीन अधिकारी का नाम :— मिथलेश मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :— 07 / 2023

प्रकरण दायर दिनांक :— 18.05.2023

1. गोविन्दा पुत्र छोट्या
2. नरसी पुत्र छोट्या
3. कैली पुत्र छोट्या
4. रामनाथ पुत्र छोट्या

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थिति:— पैरोकार सरकार

:: निर्णय :: दिनांक : 24.05.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृत[illegible] है
[illegible] है कि प्रार्थीगण ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा के रहने वाले है। अप्रार्थी राजस्थान सरकार [illegible] तहसीलदार लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 07 / 2023
दायर दिनांक 18.05.2023
निर्णय दिनांक :– 24.05.2023

जिला दौसा है अप्रार्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सीमज्ञान कर पत्थरगढी करवाई जाती है।

2. यह है कि ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा, पटवार हल्का माण्डेडा सुनापुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रजवास, तहसील लवाण, जिला दौसा में कृषि भूमि नया खाता संख्या–29 पुराना खाता संख्या–35 के आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 0.97 है0 खसरा नम्बर 210 रकबा 0.17 है0 कुल किता–02 कुल रकबा 1.14 हैक्टयर स्थित है। जिसके प्रार्थीगण मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। इस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नही है।

3. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास अन्य लोगो की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते है और प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारो ओर मिट्‌टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरो से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा रहे व प्रार्थीगण की फसल की सुरक्षा रहे।

4. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में दिनांक 10.05.2023 को करवाया जा चुका है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवम् किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर श्रीमान न्यायालय के माध्यम से पत्थरगढी व तारबन्दी करवाना चाहते है।

6. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर फसल की सुरक्षा कायम रह सके इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारबन्दी मय पुलिस इमदाद करवाया जाना आवश्यक है।

7. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी व तारबन्दी करने में किसी प्रकार की बाधा अथवा अड़चन भी किसी भी प्रकार [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 07/2023
दायर दिनांक 18.05.2023
निर्णय दिनांक :– 24.05.2023

व प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि नया खाता संख्या– 29, पुराना खाता संख्या–35 के आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 0.97 है0,खसरा नम्बर 210 रकबा 0.17 है0 कुल किता–02 कुल रकबा 1.14 हैक्टयर स्थित वाके ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा, पटवार हल्का माण्डेडा सुनारपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक रजवास, तहसील लवाण जिला दौसा का मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारबन्दी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प स्थल ग्राम पंचायत खानवास में रखा गया। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ./2023/223 दिनांक 24.05.2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बरान की पत्थरगढी के आदेश जारी किये जाते है तो पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त खसरा नम्बरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकार्ड नही है।

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.05.2023 व पत्रावली या पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण के आराजी खआराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 0.97 है0 खसरा नम्बर 210 रकबा 0.17 है0 कुल किता–02 कुल रकबा 1.14 हैक्टयर भूमि गोविन्द, नरसी, फैली, रामनाथ पुत्रान छोट्या जाति मीणा सा. देह खातेदार हिस्सा प्रत्येक हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बनियाना मुर्तहीन के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपु रा एवं पटवारी हल्का खानवास के अनुसार दिनांक 10.05.2023 को किया गया, जहॉ मौके पर भू–अभिलेख निरीक्षक रजवास, पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपुरा एवं पटवारी हल्का खानवास व खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के ... किसी भी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 07/2023
दायर दिनांक 18.05.2023
निर्णय दिनांक :– 24.05.2023

बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया–34 एवं पुराना खाता संख्या 35के अनुसार 1. गोविन्दा पुत्र छोट्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा, 2. नरसी पुत्र छोट्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा, 3. कैली पुत्र छोट्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा, 4. रामनाथ पुत्र छोट्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार रहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बनियाना की आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 0.9700 है0 व खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1700 हैक्टयर कुल किता–2 कुल रकबा 1.1400 हैक्टयर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/भू–अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीगणो से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 24.05.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 शिविर ग्राम पंचायत खानवास पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:13 IST
Reason: SelfAttested